

**फदे अहकाम**

(नियम (26))

अज अदालत ... उपखण्ड अधिकारी ... सिकराय .....  
 सरकार बनाम ... रामनाथ / सरकार .....  
 किरम मुकदमा ..... मु० नं० .....  
 136 ..... 02/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4.1.22	प्रावना पत्र अधिवक्ता श्री चमदींद्र वैरवा द्वारा पेशा/ इर्ज कर तलबी की जावे। वाले इन्तजार तामील दि० 11.1.22 को पेशा हो	
11.1.22	<p>पञ्जावली पेशा वकील प्राची उपर/ वकील प्राची की बहस प्राप्य खुनी गयी। मुताबिक प्रावना पत्र प्रश्नगत श्राप्ति में प्राची का नाम रामदेव पुत्र कपनारायण इर्ज है जोगलत है प्राची का सही नाम रामनाथ पुत्र कपनारायण है। पञ्जावली में ग्रा० पेचायत का प्रमाण पत्र लक्ष्य नहीं है।</p> <p>अतः ग्रा० मालाबास के ख.नं. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 में प्राची का नाम रामदेव के खान पर रामदेव इर्ज रामनाथ इर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय से दिए जाते हैं।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 सिकराय (दौसा)